

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक:-39

दिनांक:-13.03.2023

## अल्पकालिक सीमित निविदा

आयोग कार्यालय में फर्नीचर क्रय करने के लिए प्रतिष्ठित डीलर्स/विक्रेताओं आदि से बिड आमंत्रित कि जाती है। उक्त निविदा सामान्य वित्तीय एवं लेखा अनुभाग, वित्त विभाग, राज. जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के क्रम में राजस्थान में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से ही उपापन के लिए आरक्षित।

क्रय किये जाने वाले फर्नीचर का विवरण निम्नानुसार है :-

बिड संख्या	सामग्री	अनुमानित मूल्य	मात्रा	बिड प्रपत्र मूल्य	अमानत राशि	बिड प्राप्ति की अंतिम तिथि	बिड खोलने की तिथि
1	Revolving Chair (According to attached Specification)	01.50 लाख रु.	16	200/- रु. (MSME के लिए 100/- रु)	3,000/- रु. (MSME के लिए 100/- रु)	दि.17.03.2023 दोपहर 3.00 बजे तक	दि.17.03.2023 सायं: 4.00 बजे तक

बिड प्रपत्र एवं अन्य जानकारी वेबसाइट <http://sppp.raj.nic.in> एवं <http://rpssc.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध है। बिड प्रपत्र वेबसाइट से डाऊनलोड कर सकते है। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.04.2020 के अनुसार निविदा प्रपत्र शुल्क बजट मद 0075-800-52-01 में ई-ग्रास चालान के माध्यम से जमा करावें एवं बिड सिक्योरिटी बजट मद 8443-103-00 में ई-ग्रास चालान के माध्यम से जमा करावें।

उपसचिव

अनुभाग अधिकारी  
(स्टोर)

सहायक लेखाधिकारी प्रथम  
(लेखा)

उप सचिव  
(सम. एवं व्यव.)

उप सचिव  
(स्टोर)

बिड प्रपत्र नं. – 39

बिड जमा कराने की अन्तिम दि. 17.03.2023

अपरान्ह 3.00 बजे तक

बिड प्रपत्र मूल्य – 200/- रु



## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

### फर्नीचर क्रय के लिए बिड सूचना।

(सामान्य वित्तीय एवं लेखा अनुभाग, वित्त विभाग, राज. जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के क्रम में राजस्थान में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से ही उपापन के लिए आरक्षित)

### सीमित निविदा प्रपत्र

- 1 बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता :- .....  
ई-मेल आई.डी ..... दूरभाष/मोबाइल नं. :- .....  
बैंक खाता सं. .... बैंक का नाम .....  
शाखा का नाम ..... IFSC CODE.....
- 2 निविदा जिसको प्रस्तुत करनी है :- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 3 (a)बिड प्रपत्र शुल्क राशि – 200/- चालान सं. – ..... दिनांक – .....  
(MSME हेतु 50% राशि देय है)
- 3 (b)बोली प्रतिभूति राशि (बिड सिक्योरिटी राशि) ..... चालान संख्या .....  
दिनांक ..... से जमा करा दी गई है (प्रति संलग्न है)
- 4 उपरोक्त बिड संख्या ..... दिनांक ..... के द्वारा निम्नांकित दरे प्रस्तुत करता हूँ :-

अनुभाग अधिकारी  
(स्टोर)

सहायक लेखाधिकारी प्रथम  
(लेखा)

उप सचिव  
(सम. एवं व्यव.)

उप सचिव  
(स्टोर)

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर प्रति नग समस्त कर सहित (अंको में)	दर प्रति नग समस्त कर सहित (शब्दों में)	विशेष विवरण
1.	<p>Revolving Chair : Overall Dimensions of Chair- Seat Height - min 43.3 to max 54.3cm. Height - min 89.5 to max 100.5cm.Width &amp; Depth of Chair as measured from pedestal - Width-76.3 cm and Depth-76.3 cm. All steel components are epoxy polyester powder coated color .</p> <p>Specifications - Providing and placing a Mid back Chair, seat assembly: the seat assembly should be made up of 1.2 ±0.1cm. thick hot- pressed plywood, upholstered with fabric upholstery covers and moulded polyurethane foam. Seat size: 47.0 cm. (w) x 48.0 cm.</p> <p>(d) back assembly: the back assembly should be made of powder coated (oft 40-60 microns) tubular frame of 0 2.54 ±0.03cm. x 0.2 ±0.016cm.thk. The back should be upholstered using double layer spacer mesh fabric with high tenacity yarn.</p> <p>back size : 46.5 cm (w) x 60.5 cm (h)high resilience (hr) polyurethane foam.</p> <p>Armrests: the one-piece armrests should be injection moulded from black co-polymer polypropylene. Centre-tilt mechanism: the mechanism should be designed revolving type. 17°±2° maximum tilt on pivotat centre g. Telescopic bellow assy: the bellow should be 3 piece telescopic type and injection moulded in black polypropylene. Pedestal assembly: the pedestal should be injection moulded in black 33% glass-filled nylon66 and fitted with 5 nos. twin wheel castors.</p> <p><b>Note – Furniture shall have ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 and ISO 50001 :2018 certificate from The National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) bodies</b></p>	16			

अनुभाग अधिकारी  
(स्टोर)

सहायक लेखाधिकारी प्रथम  
(लेखा)

उप सचिव  
(सम. एवं व्यव.)

उप सचिव  
(स्टोर)

- 5 GST पंजीयन सं. .... PAN नं. .... (प्रति संलग्न)
- 6 हम राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी की गयी बिड सूचना संख्या ..... दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।)
- 7 फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से आदेश में उल्लेखित अवधि (अधिकतम 10 दिवस) में सामग्री की सुपुर्दगी (F.O.R.) आयोग कार्यालय में कर दी जाएगी।
- 8 आयोग कार्यालय की मांग अनुसार सामग्री एक साथ एवं समय समय पर आवश्यकतानुसार सप्लाई की जानी है।
- 9 बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने/ शर्त को अमान्य करने का अधिकार आयोग का होगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

अनुभाग अधिकारी  
(स्टोर)

सहायक लेखाधिकारी प्रथम  
(लेखा)

उप सचिव  
(सम. एवं व्यव.)

उप सचिव  
(स्टोर)

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

## बिड एवं संविदा की शर्तें

**टिप्पणी**—बिडदाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बिड भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

### अनिवार्य शर्तें

- 1 निविदादाता द्वारा पेन नम्बर प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य हैं जिनके अभाव में बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 2 फर्म का टर्नओवर गत दो वर्षों का 10 लाख प्रतिवर्ष होना चाहिए तथा फर्म के विगत दो वर्षों के टर्नओवर के संबंध में चार्टर्ड एकाउटेण्ट का प्रमाण-पत्र संलग्न करना है।
- 3 निविदादाता फर्नीचर की रेट के अतिरिक्त फर्नीचर की Brochure/रंगीन फोटोग्राफ (प्रत्येक आईटम के लिए 01) Specification व कीमत सहित प्रस्तुत करेगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 4 GST कर पंजीयन— कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित GST कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है तो GST कर पंजीयन संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जानी होगी। जीएसटी भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। आयोग द्वारा जीएसटी का पृथक से भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 5 विगत दो वर्षों के केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/बोर्ड से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र या कार्योदेश की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी है।
- 6 फर्नीचर में मेटेरियल की कम से कम 3 वर्ष की वारन्टी होना अपेक्षित है।
- 7 उद्योग आधार मेमोरण्डम (UAM) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 8 सभी शर्तें व ANNEXURE, हस्ताक्षर व मोहर सहित अनिवार्य रूप से निविदा के साथ संलग्न करने है।
- 09 आपूर्ति में प्रयुक्त सामग्री राष्ट्रीय स्तर के मार्का की होनी चाहिये।
- 10 बोली प्रतिभूति राशि (बिड सिक्योरिटी राशि) ई—ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 8443-103-00 में जमा करा चालान की प्रति संलग्न करें।

### अन्य शर्तें

- 11 बिडदाता को बिड सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार बिड उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करनी चाहिए।
- 12 बिड प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जायेगा। पेंसिल से भरी गयी किसी भी बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। बिडदाता बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बिड की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
- 13 दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर कर फर्म सील/मोहर लगा किए जाने चाहिए। अंकों एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित राशि मान्य होगी।
- 14 विधि मान्यता— बिड, उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
  - (i) निविदा प्रतिभूति (बिड सिक्योरिटी) राशि निविदा मूल्य की 02% होगी परंतु राजस्थान के लघु उद्योगों के लिए प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा (quantity offered) का 0.5% होगी।
  - (ii) निविदा प्रतिभूति राशि केवल ई—ग्रास चालान के माध्यम से जमा करानी होगी।

अनुभाग अधिकारी  
(स्टोर)

सहायक लेखाधिकारी प्रथम  
(लेखा)

उप सचिव  
(सम. एवं व्यव.)

उप सचिव  
(स्टोर)

- (iii) कार्यसंपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) – सफल निविदादाताओं द्वारा सप्लाई आदेश की 2.5% परंतु राजस्थान के लघु उद्योगों के लिए प्रदाय के लिए प्रदत्त मूल्य (quantity offered) का 0.5% होगी।
- 15 अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की स्पेसिफिकेशन,साइज,मेक आदि की सावधानीपूर्वक जांच करली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग,स्पेसिफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो,तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
- 16 बिडदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
- 17 विशेष विवरण स्पेसिफिकेशन्स –
1. प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं बिड में निर्धारित स्पेसिफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी।
  2. क्रेता अधिकारी का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप हैं, किया गया निर्णय बिडदाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।
  3. वारंटी एवं गारंटी का खंड– बिडदाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा) , तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। बिडदाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा,अन्यथा बिडदाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी
- 18 सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप हैं। सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसिफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
- 19 **रद्द करना (Rejection) :- (1)**
1. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा बिडदाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।
  2. तथापि,यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी बिडदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।
- 20 रद्द की गयी वस्तुओं को बिडदाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि,कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे बिडदाता की जोखिम एवं उसके मद्दे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।
- 21 बिडदाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र,रेल,सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, क्षति टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में बिडदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी
- 22 प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है ,तो बिडदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate)कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
- 23 बिडदाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

अनुभाग अधिकारी  
(स्टोर)

सहायक लेखाधिकारी प्रथम  
(लेखा)

उप सचिव  
(सम. एवं व्यव.)

उप सचिव  
(स्टोर)

- 24 सुपुर्दगी अवधि : बिडदाता जिसकी बिड स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से आदेशानुसार अवधि के भीतर सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा :-
1. मात्रा की सीमा—आदेश को फिर से देना : यदि बिड सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है तो बिडदाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (**Repeat orders**) भी बिड में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में (बिड सूचना में दर्शित मात्रा) खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होंगे यदि बिडदाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बिड द्वारा या अन्यथा प्रकार के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बिडदाता से वसूली की जाएगी। यदि क्रेता अधिकारी किन्ही बिडदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो बिडदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
- 25 समस्त माल भाडा चुका कर भेजा जाएगा।
- 26 **भुगतान :**
1. सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बिडदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बिडदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
  2. उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।
  - 27 बिड प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदों सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बिडदाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।
  - 28 वसूलियां : परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्वीडेटेड डेमेज्स) के साथ वसूली उसकी देय राशि (**Dues**) एवं विभाग के पास उपलब्ध बिड कार्य संपादन प्रतिभूति से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
  - 29 यदि बिडदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।
  - 30 क्रेता अधिकारी किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नहीं है, स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बिड को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बिडदाता ने बिड दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बिड को स्वीकार करने या एक **फर्म/सप्लायर** से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा तथा न्यूनतम दर को स्वीकार करना बाध्यकारी नहीं होगा।
  - 31 बिड प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम **अपील सचिव** एवं **द्वितीय अपील अध्यक्ष** राजस्थान लोक सेवा आयोग को की जा सकेगी।
  - 32 समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
  - 33 बिडदाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
  - 34 RTTP Act 2012 व RTTP नियम 2013 का ज्ञान एवं RTTP एवं निविदा प्रपत्र में भिन्नता होने पर RTTP Act 2012 व RTTP नियम 2013 के नियम एवं शर्तें मान्य होंगे।
  - 35 दरें समस्त कर सहित अंकित की जानी है।
  - 36 निविदादाता ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
  - 37 निविदादाता इस विभाग में पूर्व में सप्लाई नहीं करने का डिफाल्टर हो तो ऐसे निविदादाता की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
  - 38 मैंने सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है एवं उल्लेखित सभी शर्तें मुझे स्वीकार्य है।

बिडदाता के हस्ताक्षर

अनुभाग अधिकारी  
(स्टोर)

सहायक लेखाधिकारी प्रथम  
(लेखा)

उप सचिव  
(सम. एवं व्यव.)

उप सचिव  
(स्टोर)

## बिडदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालो/स्टोर्स/उपकरणों के लिये बिड दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेंट हूँ/है। (प्रति संलग्न)

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सम्पूत कर लिया जाएगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जायेगा ।

बिडदाता के हस्ताक्षर

अनुभाग अधिकारी  
(स्टोर)

सहायक लेखाधिकारी प्रथम  
(लेखा)

उप सचिव  
(सम. एवं व्यव.)

उप सचिव  
(स्टोर)



## राजस्थान सरकार

बिड क्रमांक

दिनांक :-

### शपथ-पत्र (कंपनी/फर्म/एजेन्सी के लेटर हेड पर)

मैसर्स (कंपनी/फर्म/एजेन्सी का नाम एवं पता) .....

..... शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. बिड क्रमांक ..... दिनांक ..... में मेरे/हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ/दस्तावेज पूर्णतया सही है तथा गलत पाए जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी/हमारी रहेगी।

2. मेरे/हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी कंपनी/फर्म/एजेन्सी केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/उपक्रम द्वारा Black Listed नहीं है।

### हस्ताक्षर

नाम .....

पद .....

फर्म/कंपनी/एजेन्सी का नाम .....

फर्म/कंपनी/एजेन्सी का पता .....

अनुभाग अधिकारी  
(स्टोर)

सहायक लेखाधिकारी प्रथम  
(लेखा)

उप सचिव  
(सम. एवं व्यव.)

उप सचिव  
(स्टोर)